

13  
31/5/18

प्रपत्र-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहान

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खारोका तला की जमाबन्दी

संवत् 2013-13 खाता संख्या 27 में -

हमारे पिता का नाम चर्मा, इन्दा, देवा  
मगा पिं देवा लोदली देवा देवा देवा  
जो बहुत ही हमारे पिता का नाम शुद्ध  
नाम 'दामाराम' है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

चर्मा  
देवाराम प्रार्थी  
बगाराम

दिनांक

31/5/18  
देवाराम

31/5/18  
चर्मा  
देवाराम

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्री प्रदीप कुमार धर्मराम इन्द्रावत देवावत भगवत प्रि. देवावत  
ने के नाम शुद्ध का मिश्रण किया गया। प्रदीप का नाम नाम

राजस्व रेकर्ड का संशोधन के लिए जमा रकम 2010-13

रकम 27 में उक्त प्रदीप के नाम धर्म देवावत प्रि. देवावत के  
पिता देवावत के पद पर डाला गया है। उक्त प्रदीप देवावत

वास्तविक नाम धर्म देवावत भगवत प्रि. देवावत देवावत पत्नी देवावत

का पुत्र के नाम के अंतर्गत रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
को भेजा गया है।  
नाम  
020518  
14/11/18

उक्त रिपोर्ट के अंतर्गत देवावत के नाम शुद्ध

किया गया प्रमाणित है।  
आदेश

उक्त आरा का पत्र पेश कर अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड  
आप सारणी का तल देला है जो गलत है सही नाम देवावत  
है जिसे दुरुस्त करना बताया। जिसकी जेब तहसीलदार चौहान  
से करवाई गई। तहसीलदार चौहान कि रिपोर्ट एवं उक्त आरा प्रस्तुत  
आश्चर्य के उक्त के पिता का नाम देवावत सही पाया गया।  
प्रावली का अद्यतन अवलोकन किया गया उक्त को सुना  
गया तहसीलदार चौहान कि रिपोर्ट एवं उक्त आरा के  
आधार पर उक्त के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में देवावत के स्थान  
पर देवावत देवावत के आदेश तहसीलदार चौहान को भेजा है।  
रेकर्ड के अद्यतन कराया गया। प्रावली के अद्यतन देवावत  
आदिबल इफर है।



उपखण्ड अधिकारी  
चौहान